राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के
PARA LEGAL VOLUNTEERS SCHEME (REVISED) के अंतर्गत
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया द्वारा
पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नही है)
(यह चयन सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी।)

कौन आवेदन दे सकते है

ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरूष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो के उत्थान मे रूचि रखते है तथा उनके लिए कार्य करना चाहते है। शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित), सेवानिवृत सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, आगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो स्वयं सेवा में रूचि रखते हो तथा जिन्हे विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे, पूर्व मे चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता को छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते हैं।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौपे।

पदों की संख्या – 75

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया के लिए 50 एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समीति, शेरघाटी के लिए 25
चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है, अतः जिला के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।

आरक्षण

क्योकि पारा विधिक स्वयं सेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नही है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

उम्र सीमा : –

न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र की कोई सीमा नही है।

शैक्षणिक योग्यता एवं आवेदन जमा करने का पता :
मैट्रिक

आवेदन विहित प्रपत्र मे पूरी तरह भर कर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर पंजीकृत डाक से या हाथों हाथ निम्नलिखित पते पर भेजे।

आवेदन भेजने का पता – **सचिव,**
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया
व्यवहार न्यायालय, गया (बिहार)
पिन – 823001

आवेदन करने की तिथिः

आवेदन दिनांक 29.02.2020 से 16.03.2020 तक प्राप्त किया जायेगा।

मानदेय

रूप्या 500/– प्रतिदिन । परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौपती है या पारा विधिक स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए. डी. आर केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश

1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. स्वस्थ हो 3. अच्छा चरित्र हो 4. समाज सेवा में रूचिं रखता हो 5. गया जिले का निवासी हो 5. आवेदक अपना स्वयं पता लिखा लिफाफा जिस पर निबंधित डाक टिकट लगा हो आवेदन के साथ संलग्न करें।

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया

आवेदन का प्रारूप
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है।)
(यह चयन सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी।)

PLVs के चयन हेतु आवेदन पत्र

क्रमांक : ....(कार्यालय उपयोग हेतु) फोटो

1. आवेदक का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. स्थायी पता : ग्राम.. पोस्ट : ....

थाना .... पंचायत .... प्रखंड .... जिला ....

पिन कोड ....

4. पत्राचार का पता ....

....

5. शैक्षणिक योग्यता :

6. अन्य योग्यता :

7. जन्म तिथि :

8. आवेदक की कोटि :

9. लिंग :

10. संपर्क नम्बर :

11. ई–मेल :

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित सभी जानकारी सत्य है/ गलत पाए जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कारवाई की जा सकती है।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर